

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक: प.8(26)राज/वाद/24

जयपुर, दिनांक 24/7/2026

:: आदेश ::

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 18(दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 24) व राजस्थान लॉ एण्ड लीगल अफेयर्स डिपार्टमेंट मैनुअल 1999 के नियम 15(2), 16 एवं 17 के अन्तर्गत कॉलम सं० 2 में वर्णित न्यायालयों में राज्य सरकार की ओर से पैरवी करने हेतु कॉलम सं० 3 में वर्णित अभियोजकों को कॉलम सं० 4 में वर्णित रिक्त पद पर मासिक रिटेनरशिप रुपये 21,200/- प्रतिमाह (निश्चित) पर एक वर्ष या अग्रिम आदेश तक, जो भी पहले हो, के लिए एतद्वारा नियुक्त किया जाता है:-

क्र.सं०	न्यायालय	नाम अभियोजक	पदनाम
1	2	3	4
1	अपर जिला एवं सेशन न्यायालय, सं० 9, जयपुर महानगर-प्रथम	श्री पौरुष शर्मा (आर/177/2017)	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक सं० 9, जयपुर महानगर-प्रथम
2	अपर जिला एवं सेशन न्यायालय, सं० 11, जयपुर महानगर-प्रथम, मुख्यालय सांगानेर	श्री तेजकान्त नागरवाल (आर/144/2000)	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक सं० 11, जयपुर महानगर-प्रथम, मुख्यालय सांगानेर

नोट:- उक्त सारणी के क्रम सं० 01 पर वर्णित अधिवक्ता की नियुक्ति माननीय राज० उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ, जयपुर में विचाराधीन एस०बी०सिविल रिट पिटीशन सं० 10284/2025 नौशाबा बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अध्वधीन रहेगी।

आज्ञा से

हु०

(प्रमोद कुमार मलिक)
शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
- 2 संयुक्त सचिव (एसएस), मुख्यमंत्री कार्यालय।
- 3 विशिष्ट सहायक, माननीय विधिमंत्री महोदय।
- 4 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, विधि।
- 5 महाधिवक्ता, राजस्थान, जयपुर।
- 6 राजकीय अधिवक्ता मय अतिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर/जोधपुर।
- 7 संबंधित जिला एवं सेशन न्यायाधीश।
- 8 संबंधित न्यायालय।
- 9 संबंधित जिला कलक्टर।
- 10 संबंधित कोषाधिकारी।
- 11 संबंधित अभियोजक।
- 12 सहायक लेखाधिकारी, प्रथम, विधि(वादकरण) विभाग।
- ✓ 13 एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, विधि विभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने।
- 14 रक्षित पत्रावली।

प्रमोद कुमार मलिक

शासन सचिव, विधि

24.07.26

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक: प.8(26)राज/वाद/24

जयपुर, दिनांक 24/7/2026

:: आदेश ::

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 18(दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 24) व राजस्थान लॉ एण्ड लीगल अफेयर्स डिपार्टमेन्ट मैनुअल 1999 के नियम 15(2), 16 एवं 17 के अन्तर्गत श्री सोमेश चन्द शर्मा, अधिवक्ता (एनरोलमेन्ट नं० आर/1167/1994) को जिला एवं सेशन न्यायालय, जयपुर महानगर-प्रथम में राज्य सरकार की ओर से पैरवी करने हेतु लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, जयपुर महानगर-प्रथम के रिक्त पद पर मासिक रिटेनरशिप रुपये 24,200/- प्रतिमाह (निश्चित) पर एक वर्ष या अग्रिम आदेश तक, जो भी पहले हो तक, के लिए एतद्वारा नियुक्त किया जाता है।

आज्ञा से


(प्रमोद कुमार मलिक)
शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
- 2 संयुक्त सचिव (एसएस), मुख्यमंत्री कार्यालय।
- 3 विशिष्ट सहायक, माननीय विधि मंत्री महोदय।
- 4 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, विधि।
- 5 महाधिवक्ता, राजस्थान, जयपुर।
- 6 राजकीय अधिवक्ता मय अतिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर/जोधपुर।
- 7 संबंधित जिला एवं सेशन न्यायाधीश।
- 8 संबंधित न्यायालय।
- 9 संबंधित जिला कलक्टर।
- 10 संबंधित कोषाधिकारी।
- 11 संबंधित अभियोजक।
- 12 सहायक लेखाधिकारी, प्रथम, विधि(वादकरण) विभाग।
- ✓ 13 एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, विधि विभाग को वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
- 14 रक्षित पत्रावली।


(प्रमोद कुमार मलिक)
शासन सचिव, विधि